

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

8594

/2020/रायगढ़, दिनांक :- 16/12/2020

उपमहाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsugda-Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय नागपुर का पत्र क्रमांक एफ.नं.- एफ.सी.-3/सी.एच.-09/2016-एन.जी.पी./3106 दिनांक 12.01.2018
2. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. का पत्र क्रमांक/प.क्षे.-1/उपकेन्द्र/तमनार/525 दिनांक 09.12.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन-II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वन भूमि 153.448 हेक्टेयर गैर वानिकी उपयोग हेतु पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक XXI के पालन में पक्षी संवर्धन योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु. 35794984.00 होती है संस्थान द्वारा पूर्व में राशि रु. 6531800.00 ऑनलाईन पोर्टल में चालान जनरेट कराकर जमा किया जा चुका है। अतः अंतर की राशि रु. 29263184.00 (रुपये दो करोड़ बियान्वे लाख त्रिसठ हजार एक सौ चौरासी मात्र) परिवेश पोर्टल में चालान जनरेट कराकर जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

2020/रायगढ़, दिनांक :- 16/12/2020

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 8595

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़